International Journal of Multidisciplinary Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.in
ISSN: 2455-4588
Received: 08-08-2023, Accepted: 23-08-2023, Published: 09-09-2023
Volume 8, Issue 3, 2023, Page No. 40-41

विश्व व्यापार संगठन संगठन (WTO) तथा भारतः एक आलोचनात्मक अध्ययन

सरिता
स्नातकोत्तर, वाणिज्य विभाग, यू.जी.सी नेट, इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी, हरियाणा, भारत

सारांश
व्यवहारिक रूप से सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। क्योंकि इन प्रतिबंधों तथा नियमों का राष्ट्र के व्यापार से संबंध होता है, अतः इन्हे सामान्यतः व्यापार नीतियों के रूप में जाना जाता है। जब हम व्यापारिक नीतियों पर विभिन्न अधि राष्ट्र प्रभावों तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावों का चिंतन करते हैं। तब हमारे ध्यान में भूमंडलीय व्यापारिक नीति आती है। सन् 1930 के दशक के आरम्भ में महामंदी के दौरान विश्व व्यापार में भारी गिरावट आयी। इसका कारण अनेक देशों द्वारा आयातों पर निर्बाध प्रशुल्कों का लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि में कमी हुई, कार्यकुशलता का स्तर गिरा तथा व्यापार में गिरावट आई। रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई। तब से ऐसी स्थिति की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कई बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय समझौते किए गए हैं। मराकश (मोरक्को) समझौते के फलस्वरूप अप्रैल 1994 में विश्व व्यापार संगठन के जन्म का बीज़ पड़ा और 1 जनवरी 1995 से यह अस्तित्व में आ गया। लगभग 85 देशों ने इसकी सदस्यता उसी समय स्वीकर कर लिया था। भारत इन देशों में से एक था। इस प्रकार 31 दिसम्बर 1995 तक 'गाट' और विश्व व्यापार संगठन दोनों ही अस्तित्व में थे। 1 जनवरी 1996 से ग्रांट का अब कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी जगह विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया है। जव विश्व बाजार प्रतिस्पर्धा की वृद्धि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। यह एक बहुपक्षीय संधि है WTO जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है।

मूल शब्दः प्रतिबंध, महामंदी, अंतर्राश्ट्रीय समझौते, कार्य कुशलता

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

- WTO का प्राथमिक उद्देश्य समझौते के अंतर्गत नई विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करना है।
- विश्व व्यापार को इस तरीके से बढ़ावा देना है कि प्रत्येक देश उससे लाभान्वित हो।
- उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने तथा विश्व समन्वय की सहायता के लिए सभी व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप हो।
- विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के विचार से उत्पादन के स्तर तथा उत्पादकता को बढ़ाना।
- संसार के संसाधनों का अधिकतम मात्रा में विस्तार तथा उपयोग करना।

विश्व व्यापार संगठन तथा भारतः

भारत WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत का 90 प्रति ात व्यापार उन देशों से होता है जो WTO के सदस्य हैं। भारत में इस विशय पर काफी वाद–विवाद रहा है कि भारत को WTO का सदस्य रहने से या डंकले ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से लाभ होगा या हानि उठानी पड़ेगी। भारत के WTO के सदस्य बने रहने के पक्ष तथा विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैंः

भारत को हानि या विश्व व्यापार संगठन के विपक्ष में तर्कः

आलोचकों के अनुसार, WTO या गैर समझौतों को प्रावधानों पर होने वाले समझौते से केवल विकसित देशों का लाभ होगा तथा भारत जैसे अल्प विकसित देशों का इसके फलस्वरूप हानि उठानी पड़ेगी। देश में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से हमारी संस्कृ ति और परम्पराएँ लुट जाएंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति देश को लूटा जाएगा।

कृशि क्षेत्र को हानिः कृशि को गैर समझौते या WTO में भाामिल करने से यह आ ांका व्यक्त की जा रही है कि इससे किसानों को कृशि संबंधी तकनीक एवम् उन्नत बीजों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। किसान फसल से उन्नत बीज का संचय नहीं कर सकेंगे और उन्हें हर बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कीटनाशक, खाद, कृशि यंत्र इत्यादि ऊँची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

खाद्यान्नो का आयातः यह आशंका व्यक्त की गई है कि WTO के बाद देश में बड़ी मात्रा में विकसित देशों के आधिक्य खाद्यान्नों का आयात किया जाएगा। इसका देश के भुगतान संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पौधे तथा जानवरों का विदेशी स्वामित्वः पौधे और जानवरों को WTO में शामिल किया गया हैं और इन्हें विदेशों कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा।

सेवा क्षेत्र को हानिः WTO के अंतर्गत यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे हमारे सेवाक्षेत्र के व्यापार को हानि होगी। हमारी बैंकिग, बीमा, यातायात, शिक्षा, होटल आदि व्यवस्थाएँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवाओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकेगी। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे इन सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वदेशी संस्थाएं बंद हो जाएगी और हमारी आर्थिक स्वतंत्रता छिन जाएगी।

भारत को लाभ या विश्व व्यापार संगठन के पक्ष में तर्कः–

WTO के विरूद्ध उपरोक्त तर्क दिये गए हैं जबकि वास्तविकता कुछ और है यदि ध्यान दे तों यह प्रतीत होता हे कि विपक्ष के ये तर्क प्रस्ताव का एक पक्षीय मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। कुछ तर्क तो बिल्कुल निराधार हैं। इस प्रस्ताव से भारत को प्राप्त होने वाले कुछ मुख्य लाभ अग्रलिखित होने की संभावना है

विदेशी व्यापार में वृद्धिः WTO से भारत के विदेशी व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला है। WTO समझौतों के अंतर्गत विभिन्न दे ाों ने टैरिफ एवं गैर–टैरिफ रूकावटों को कम किया है, इससे भारत के लिए नए बाज़ार खुले हैं। अब भारत का वस्तुओं व सेवाओं दोनों का विदेशी व्यापार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है।

बेहतर तकनीक व अच्छी किस्म के उत्पादों का अंतरप्रवाहः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बढ़ने से बेहतर तकनीक का अंतरप्रवाह होता है और देश में अच्छी किस्त के उत्पादों की उपलब्धता होती है इससे जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा औद्योगिक विकास में प्रगति होती है।

पेटेन्ट के कारण अनुसंधान को प्रोत्साहनः पेटेन्ट प्रणाली से अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। भाोध कार्य करने पर यदि भाोधकर्ता कोई नया उत्पाद ढूंढता है, तो वह इस नए उत्पाद के पेटेन्ट का पंजीकरण करवा सकता है। पेटेन्ट पर वह भाोधकर्ता रायल्टी के रूप में बहुत आय अर्जित कर सकता हैं। इस तरह पेटेन्ट प्रणाली भाोधकार्यों को बढ़ावा देती है।

राशिपातन पर प्रतिबंधः यदि कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देश मे बहुत ही कम कीमत पर बेचता है, ताकि उस देश के घरेलू उद्योगों को नष्ट किया जा सकें, तो ऐसे देश के विरूद्ध विश्व व्यापार संगठन से शिकायत की जा सकती है। इस तरह विश्व व्यापार संगठन राशिपातन क्रियाओं को रोकने में योगदान देता हैं।

बीजों के प्रयोग की स्वतंत्रताः WTO के भूतपूर्व महानिदे ाक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसान अपनी उपज में से बचाए गए बीजों से अगली फसल लेने की पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। वे अन्य किसानों के साथ उन बीजों की अदला–बदली भी कर सकेंगे। अनुसंधानकर्ता एक सुरक्षित किस्म से अन्य किस्म भी तैयार कस सकेंगे।

निश्कर्शः WTO की स्थापना बेशक देर से हुई है परंतु फिर भी नए अंतर्राश्ट्रीय व्यापार के निर्माण की ओर एक सही कदम हैं जिसकी अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास तथा पारद ार्किता पर नए बल की आव यकता है और WTO को व्यापार समझौतें के निक्षेपागार के रूप में अपनी भूमिका के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। भारत, जो WTO के संस्थापक सदस्य के रूप में भाामिल हुआ, इससे बाहर नहीं रह सकता और न ही भोश विश्व से अलग–थलग हो सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्महत्या के समान हैं। आव यकता इस बात की है कि भारत के हितों की रक्षा करते हुए WTO के प्रस्तावों का प्रयोग किया जाए और सरकार इस बात का निरंतर प्रयास करती रहे।

संदर्भ सूची

1. The World Trade Organisation. Trading into the Future: Geneva: World Trade Organisation Publications, 1997-98.
2. The Multilateral Trading System: 50 years of Achievements, Geneva: GATT Secretariat, 1998.
3. India & The WTO. 1999, 3(11). New Delhi: Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, 1999).
4. International Trade, 1995. Trends and Statistics (Geneva: WTO Publications, 1998)
5. Trade Policies for a Better Future: Proposals for action, Geneva: WTO Secretriat, 1997.
6. Reshaping the World Trading System- Second edition. Geneva: WTO Publications, 1998.